संख्या-6/2017/एस-3-189/दस-2017-ब(08)/2015

प्रेषक,

राज रतन
उप सचिव
उ0प्र0शासन

सेवा में,

निदेशक,
कोषागार,उत्तर प्रदेश,
1018-जवाहर भवन, लखनऊ।

वित्त (सेवायें) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 24 मार्च, 2017

विषय:-**चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में संस्थान के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-63 के अर्न्तगत मानक मद-16 व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं एवं मानक मद-47 कम्प्यूटर अनुरक्षण तत्सम्बन्धी स्टेशनरी, मद में पुर्नविनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3444/2 (दो)/2016-2017/ को0नि0/बजट दिनांक 08-02-2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के 78 कोषागारों में वाहन चालक/चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की भर्ती न होने के कारण आउटसोर्सिंग के माध्यम से डाटा इन्ट्री आपरेटर, वाहन चालक, अनुसेवक सफाई कर्मी का भुगतान हेतु वर्तमान में दरों मे वृद्धि होने के कारण मानक मद-16 व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं एवं मानक मद में धनराशि अपर्याप्त होने के दृष्टिगत श्री राज्यपाल महोदय संलग्न पुर्नविनियोग आदेश संख्या-आर0ई0-672- एस-3-189/दस-2017-ब(08)/2015 दिनांक 24 मार्च, 2017 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-63 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन-आयोजनेत्तर-097-खजाना स्थापना-03-मुख्य" के अनर्तगत मानक मद-01-वेतन में होने वाली बचतों से मानक मद-16 व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए रूपये 40,00,000/-(रूपये चालीस लाख मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2- उक्त पुनर्विनियोजित धनराशि शासन द्वारा दिये गये निर्देशों/आदेशों के अन्तर्गत सेवा प्रदाता के माध्यम से आउटसोर्सिंग पर रखे गये उन्ही कार्मिकों का भुगतान किया जायेगा ।

3- कृपया उक्त मद में व्यय उक्त सीमा तक ही सीमित रखा जाय ।

भवदीय,

संलग्नक- यथोक्त ।

(राज रतन)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-6/2017/एस-3-189(1)/दस-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद को प्रपत्र बी0एम0 - 9 की प्रति सहित ।

2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)आडिट उ0प्र0, इलाहाबाद की प्रति सहित ।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ को प्रपत्र बी0एम0-9 की प्रति सहित ।

4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2(बी. एम. 9, तीन प्रतियो में)

5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1

6- गार्ड फाईल ।

संलग्नक- यथोक्त ।

आज्ञा से,

(राज रतन)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र बी0एम0 -9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति

(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

वित्तीय वर्ष, 2016-17

आयोजनेत्तर **(धनराशि हजार रूपये में)**

अनुदान संख्या-63,

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण

लेखा शीर्षक(15 डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान /विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन 00-097-खजाना स्थापना-03-मुख्य-00-01-वेतन	900000	250200	4000	4000	896000
योग	900000	250200	4000	4000	896000

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण

लेखा शीर्षक(15 डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त् विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग(8+11)
7	8	9	10	11	12
2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन 00-097-खजाना स्थापना-03-मुख्य-00-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के के लिए भुगतान	36000	40000	4000	4000	40000
योग	36000	40000	4000	4000	40000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का विवरण निम्नानुसार है :-

कोषागारों में कार्मिको के सेवानिवृत्त होने के कारण वेतन मद में होने वाला व्यय कम है ।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

1. प्रदेश के 78 कोषागारों में वाहन चालक/चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की भर्ती न होने के कारण आउटसोर्सिंग के माध्यम से डाटा इन्ट्ररी आपरेटर, वाहन चालक, अनुसेवक, सफाई कर्मी का भुगतान किया जाता है वर्तमान में दरों मे वृद्धि होने के कारण लेखाशीर्षक "2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन-आयोजनेत्तर-097-खजाना स्थापना-03-मुख्य" के अनर्तगत मानक मद-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान में रू0 4000 हजार की अतिरिक्त आवश्यक्ता है, जिसे लेखाशीर्षक"2054-खजाना तथा लेखा स्थापना-आयोजनेत्तर-097-खजाना स्थापना-03-मुख्य" के अन्तर्गत मानक मद-01 वेतन में से सम्भावित बचत से पुनर्विनियोग के माध्यम से वहन किया जाना प्रस्तावित है।

संख्या-आर0ई0-672 एस-3-189/दस-2017-ब(08)/2015 दिनांक-24-03-2017

सेवा में ,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
उत्तर प्रदेश ,इलाहाबाद।

(राज रतन)
उप सचिव

(राज रतन)
उप सचिव

संख्या- 6/2017/एस-3-189/दस-2017- ब(08)/2015तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियो में)
5- अनुभागीय गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(राज रतन)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।